

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

C Govt. of Haryana

CHANDIGARH, MONDAY, JUNE 14, 1993 (JYAISTHA 24, 1915 SAKA)

नगर तथा ग्राम ग्रायोजना विभाग

ग्रधिसूचना

दिनांक 14 जून, 1993

संख्या जे. डी.-93/1014.--पंजाब ग्रनुसूचित सड़कें एवं नियन्त्रित क्षेत्र ग्रनियमित विकास प्रतिबन्ध ग्रिधिनियम, 1963, की धारा 4 की उपधारा (i) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस सम्बन्ध में उन्हें सक्षम बनाने वाली सभी ग्रन्य जिन्त्यों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल निम्न ग्रनुसूची में विनिर्दिष्ट ग्रौर इससे संलग्न नक्शे में दर्शीये गये क्षेत्र हो उक्त ग्रिधिनियम के प्रयोजनार्थ ग्रतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र घरौंडा घोषित करते हैं, ग्रर्थात्:--

ग्रनुबन्ध

म्रतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र घरौंडा की सीमा म्रनुसूची की ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (के) 910/93, दिनांक 9 फरवरी,

ग्रनुसूची

्चर : बिन्दु 'ए' ग्रर्थात् गांव फुरलक की ग्रायत संख्या 20 के उत्त र-पश्चिमी कोने से ग्रारम्भ होकर, इसके बाद गांव फुरलक की ग्रायत संख्या 20, 21, 22, 23, 24, 25 गांव रसीन की ग्रायत संख्या 31, 30, 29, 28 गांव उपली की ग्रायत संख्या 8, 7, 6 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ पूर्व की ग्रोर बिन्दु 'बी' तक, जहां यह ग्रधिसूचना संख्या 4444-10डी पी०-84/9714, दिनांक 3 मई, 1985 द्वारा घोषित नियन्त्रित क्षेत्र घरौंडा की वर्तमान सीमा से मिलती है ग्रर्थात् गांव उपली की ग्रायत संख्या 6 का उत्तर पूर्वी कोना।

इसके बाद दक्षिण की ग्रोर, ग्रौर इसके बाद उपर्युक्त नियन्त्रत क्षेत्र सीमा के साथ-साथ पूर्व की ग्रोर बिन्दु 'सी' तक, जो गांव गड़ी मुलतान की ग्रायत संख्या 5 का उत्तरी पूर्वी कोना है। इसके बाद, ग्रायत संख्या 5, 7, 12, 19, 25 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ दक्षिण की ग्रोर बिन्दु 'डी' तक, जहां यह गांव गढ़ी मुलतान की फिरनी से मिलती है। इस के बाद उपर्युक्त गांव फिरनी के साथ-साथ पश्चिम, दक्षिण तथा पूर्व की ग्रोर बिन्दु 'ई' तक, जो गांव गढ़ी मुलतान की ग्रायत संख्या 33 का उत्तर पूर्वी कोना है। इसके बाद गांव गढ़ी मुलतान की ग्रायत संख्या 33, 38, 45, 50 गांव को हन्ड की ग्रायत संख्या 4, 10, 26, 32, 53, 58, 91, 95, 129, 134, 145 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ दक्षिण की ग्रीर बिन्दु 'एफ' तक, जहां यह जिला करनाल ग्रौर पानीपत की सीमा से मिलती है।

दक्षिण : इसके बाद उपर्युक्त जिला सीमा के साथ-साथ पश्चिम की ग्रोर, ग्रौर उसके बाद ग्रिधसूचना संख्या 10 डी.पी.-82/3163, दिनांक 23 फरवरी, 1982 द्वारा घोषित पानीपत का वर्तमान ग्रितिरक्त नियन्तित क्षेत्र सं ात साथ-साथ बिन्दु उत्तरी सीमा के साथ-साथ इसके बाद पुन: उक्त जिला सीमा ग्रौर गांव गुदाह की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ बिन्दु उत्तरी सीमा के साथ-साथ पश्चिम को हुन्छ सड़क की दक्षिणी सीमा से मिलती है। इसके बाद उक्त सड़क की दक्षिणी सीमा से मिलती है। इसके बाद सिमा के साथ-साथ पश्चिम की ग्रोर बिन्दु 'एच' तक, जहां यह गांव बेगमपुर की पश्चिमी सीमा से मिलती है। इसके बाद उत्तर की ग्रोर गांव बेगमपुर की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ग्राई' तक, जो गांव डडलाना की ग्रायत संख्या उत्तर की ग्रोर गांव है। इसके बाद ग्रायत संख्या 47, 48, 49 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ पश्चिम की ग्रोर ग्रोर, इसके बाद उत्तर की ग्रोर ग्रायत संख्या 49, 42 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ इसके बाद पश्चिम की ग्रोर गांव डडलाना की ग्रायत संख्या 30 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'जे' तक, जहां यह उक्त गांव की पश्चिमी सीमा से मिलती है।

पश्चिम : इसके बाद उत्तर की ग्रोर गांव डडलाना की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'के' तक जो गांव कापरोंन की ग्रायत संख्या 41 का दक्षिणी-पश्चिमी कोना है। इसके बाद उत्तर की ग्रोर ग्रायत सं० 41, 37 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ इसके बाद उत्तर की ग्रोर, गांव साथ इसके बाद पश्चिम की ग्रोर ग्रायत संख्या 31 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'एल' तक, जो गांव कापरोंन के कापरोंन की ग्रायत संख्या 31, 27, 16, 13, 7, 4 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'एल' तक, जो गांव कापरोंन के ग्रायत संख्या 4 का उत्तर पश्चिमी कोना है। इसकेबाद गांव कापरोंन की उत्तरी सीमा ग्रौर गांव शहजहां पश्चिम, सीमा गांव रायपुर की पश्चिमी ग्रौर उत्तरी सीमा तथा गांव फुरलक की उत्तरी सीमा के सार्थ-साथ बिन्दु 'ए' ग्रर्थात् प्रारम्भिक बिन्दु तक।

प्रदीप कुमार,

ग्रायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम ग्रायोजना विभाग ।

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 14th June, 1993

No. JD-93/1014.—In exercise of powers conferred by sub-section (i)(a) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Area Restrictions of Unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him, the Governor of Haryana is pleased to declare the area as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be an 'Additional Controlled Area Gharaunda' for the purposes of the said Act, namely:—

ANNEXURE

Schedule of boundary of the Additional Controlled Area Gharaunda to be read with the Drg. No. D.T.P. (K)910/93, dated 9th February, 1993.

SCHEDULE

North: Started from point 'A' i.e. North-West corner of the rectangle No. 20 of Village Phurlak, thence towards East along northern boundary of rectangle No. 20, 21, 22, 23, 24, 25 of village Phurbak, rectangle No. 31, 30, 29, 28 of village Rasin, rectangle No. 8, 7, 6 of village Upli unto Phurbak, rectangle No. 31, 30, 29, 28 of village Rasin, rectangle No. 8, 7, 6 of village Upli unto point 'B' where it meets the existing boundary of controlled area Gharaunda declar vide point 'B' where it meets the existing boundary of controlled area Gharaunda declar vide Notification No. 4444-10DP-84/9714, dated 3rd May, 1985 i.e. the North East corner of rectangle No. 6 of village Upli.

East: Thence towards south and further towards east along the above said controlled area boundary upto point 'C' which is the north east corner of rectange No. 5 of village Garhi Multan. Thence towards south along the Eastern boundary of rectangle No. 5, 7, 12, 19, 25 upto point 'D', where it meets the phirni of village Garhi Multan. Thence towards west, south and east along the above said village phirni upto point 'E, which is the north east corner of rectangle No. 33 of village said village phirni upto point 'E, which is the north east corner of rectangle No. 33, 38, 45, 50 Garhi Multan. Thence towards south along the estern boundary of rectangle No. 33, 38, 45, 50 of village Garhi Multan, rectangle No. 4, 10, 26, 32, 53, 58, 91, 95, 129, 134, 145 of village of village Garhi Multan, rectangle No. 4, 10, 26, 32, 53, 58, 91, 95, 129, 134, 145 of village Kohand upto point 'F', where it meets the district boundary of district Karnal and Panipat.

South: Thence towards west along the above said district boundary and further along northern boundary of existing additional Controlled Area No. II & III of Panipat declared,—vide notification No. 10DP-82/3163, dated 23rd February, 1982. Thence again along the above said district boundary and western boundary of village Gudah upto point 'G' where it meets the southern boundary of existing Assandh-Kohand road. Thence towards west along the southern boundary of above said road upto point 'H' where it meets the western boundary of village Begumpur. Thence towards North along the western boundary of village Begumpur upto point, 'I' which is the south east corner of rectangle No. 47 of village Dadlana. Thence towards west along the southern boundary of rectangle No. 47, 48, 49, thence towards north along the western boundary of rectangle No. 49, 42, thence towards west along the southern boundary of rectangle No. 30 of village Dadlana upto point 'J' where it meets the western boundary of the above said village.

West: Thence towards north along the western boundary of village Dadlana upto point 'K' which is the south west corner of rectangle No. 41 of village Kapron. Thence towards north along the western boundary of rectangle No. 41, 37, thence towards west along the Southern boundary of rectangle No. 31, thence towards north along the western boundary of rectangle No. 31, 27, 16, 13, 7, 4 of village Kapron upto point 'L' which is the north west corner of rectangle No. 4 of village Kapron. Thence move along the northern boundary of village Kapron, western boundary of village Shahjahanpur, and western and northern boundary of village Raipur and northern boundary of village Phurlak upto point 'A' i.e. the point of start.

PRADEEP KUMAR,

Commissioner and Secretary to Government of Haryana, Town and Country Planning Department.